

मृत्यु

सेवा में,

रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु,

नगर निगम, अम्बाला ।

विषय :- मृत्यु घटना दिनांकको दर्ज करवाने बारे।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि मेरे

.....की मृत्यु दिनांकको मेरे

निवास स्थान.....

अम्बाला शहर में हो गई थी।

मृतक का नाम

पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति

का नाम अब दर्ज करवाने के लिए शपथ पत्र, मृत्यु रिपोर्ट का फार्म, संस्कार का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की फोटोस्टेट प्रति तथा गवाही प्रमाण पत्र साथ लगा रहा हूँ।

कृपया करके मृत्यु घटना को अब दर्ज किया जाए।

भवदीय,

पुरा नाम

पता

.....

.....

गवाही प्रमाण पत्र

मृत्यु

हम प्रमाणित करते हैं कि श्री/श्रीमति
पुत्र/पत्नी श्री
की मृत्यु.....दिनांक.....को मकान नं.
.....पर हुई है। यह सत्य है
इस संस्कार के समय उपस्थित थे।

उपरोक्त ब्यान हमने अपनी सही जानकारी के अनुसार दिए हैं। हम इस परिवार को जाति तौर पर जानते हैं।

गवाह नं. 1.

हस्ताक्षर

गवाह नं. 2.

हस्ताक्षर

शपथ पत्र

मृत्यु

मैं

पुत्रआयु.....

निवासी

.....निम्न ब्यान करता हूँ।

1. मेरे

पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति नाम

.....अम्बाला शहर में हुई हैं।

2. मृत्यु घटना/मृतक का नाम

पुत्र

मृत्यु की तिथि.....को निर्धारित समय में

नगर निगम, अम्बाला में घरेलू परिस्थिति/अज्ञानता/अनपढ़ता के कारण

दर्ज नहीं करवा सका।

3. उपरोक्त मृत्यु घटना भारत के किसी अन्य स्थान पर या किसी अन्य

तिथि को दर्ज नहीं हैं।

4. अनुरोध करता हूँ कि अब मेरे

की मृत्यु घटना को नगर निगम, अम्बाला के मृत्यु रिकार्ड में दर्ज

किया जायें।

5: इस घटना को दर्ज कराने के लिये किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हुई

तो उसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

दिनांक

स्थान

शपथकर्ता

उपरोक्त ब्यान मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही हैं इसमें कुछ भी

छुपाया नहीं गया है।

दिनांक

शपथकर्ता

Documents of Delay Death Registration

1. मृत्यु सूचना फार्म न0 2।
2. शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यामित।
3. प्रार्थना पत्र पर शपथी द्वारा।
4. संस्कार का रिकॉर्ड (शमशान घाट के रजिस्ट्रार की सत्यापित प्रति)।
5. मृत्यु स्थान और मृतक के स्थाई पते का तीन वर्षों का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (N.A.) -घटना से एक वर्ष पहले, घटना का वर्ष व घटना से एक वर्ष बाद का।
6. दो पड़ोसियों के शपथ पत्र पर ब्यान व उनके पहचान पत्र।
7. एम.सी की गवाही।
8. मृतक का पहचान पत्र/राशन कार्ड।
9. प्राथी व सभी शपथियों के पहचान पत्र/राशन कार्ड।
10. यदि मृत्यु किसी हस्पताल में हुई है तो हस्पताल के इंडोर रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति व वहां के प्रभारी द्वारा भरा गया फॉर्म न0 4/4ए संलग्न करें।
11. यदि मृत्यु घटना के बारे में कोई केस दर्ज है तो एफ0/आई0/ आर व पोस्टमॉर्टम की सत्यापित प्रति संलग्न करे व सूचना फार्म पर पुलिस विभाग के इन्क्वारी ऑफिसर के हस्ताक्षर भी करवाएं।

जिला रजिस्ट्रार
जन्म मृत्यु, अम्बाला।